विहंगावलोकन

विहंगावलोकन

इस प्रतिवेदन में राजस्व एवं सामाजिक तथा आर्थिक क्षेत्र (सा.क्षे.उ.) के लेखापरीक्षा प्राप्तियों से संबंधित दो अध्याय सम्मिलित हैं। राजस्व क्षेत्र से संबंधित अध्याय I में कम मूल्यांकन, कम भुगतान/राजस्व की हानि, ब्याज एवं जुर्माना से संबंधित ₹ 122.97 करोड़ के चार पैराग्राफ, सामाजिक व आर्थिक क्षेत्रों (सा.क्षे.उ.) से संबंधित अध्याय II में ₹ 957.35 करोड़ का एक निष्पादन लेखापरीक्षा और छः पैराग्राफ हैं। इस प्रतिवेदन का कुल धन मूल्य ₹ 1,080.32 करोड़ है। कुछ प्रमुख प्राप्तियों का उल्लेख नीचे दिया गया है

अध्याय - I: राजस्व क्षेत्र

वर्ष 2015-16 के लिए सरकार की कुल राजस्व प्राप्तियां, वर्ष 2014-15 के ₹ 29,584.59 करोड़ की तुलना में ₹ 34,998.85 करोड़ थीं। इसमें से 88 *प्रतिशत* कर राजस्व (₹ 30,225.16 करोड़) और गैर–कर राजस्व (₹ 515.40 करोड़) से उद्ग्रहित किए गए। शेष 12 *प्रतिशत* भारत सरकार से सहायता अनुदान (₹ 4,258.29 करोड़) के रूप में प्राप्त हुआ। कर राजस्व में वृद्धि 13.61 *प्रतिशत* तथा गैर–कर राजस्व में कमी पिछले वर्ष की तुलना में 18.52 *प्रतिशत* थी।

(पैराग्राफ 1.1.1)

वर्ष 2015-16 में आयोजित व्यापार एवं कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, परिवहन एवं राजस्व विभाग की 80 इकाईयों के अभिलेखों की नमूना जांच में ₹ 164.17 करोड़ के 459 मामलों में कम मूल्यांकन/कम उद्ग्रहण/राजस्व घाटा और अन्य कमियां पाई गई। वर्ष के दौरान संबंधित विभागों ने 2015-16 की लेखापरीक्षा में इंगित ₹ 7.02 करोड़ के कम मूल्यांकन और अन्य कमियों को स्वीकार किया और ₹ एक लाख की वसूली की।

(पैराग्राफ 1.1.9)

व्यापार एवं कर विभाग और उत्पादन शुल्क, मनोरंजन तथा विलासिता कर विभाग

राजस्व बकायों के वसूली की प्रणाली

विभागों के भूमि राजस्व के बकायों जैसा कि संबंधित अधिनियमों में दिया गया है की वसूली के प्रयासों की संवीक्षा अप्रभावी मॉनीटरिंग तथा चूककर्त्ताओं के विवरणों के अपर्याप्त रखरखाव; विभाग की बकायों का अनुसरण एवं वसूली करने की क्षमता की अनिश्चितता को उजागर करती है। सरकारी बकायों की वसूली से संबंधित प्रावधानों को समयपूर्वक लागू करने में गंभीरता की स्पष्ट कमी थी जिसके परिणामस्वरूप व्यापार एवं कर विभाग में 2012-13 के प्रारंभ में ₹ 15,249.16 करोड़ से बकायों में 31 *प्रतिशत* की वृद्धि हुई तथा 2014-15 के अंत में यह ₹ 20,039.34 करोड़ हो गई। व्यापार एवं कर विभाग और उत्पाद शुल्क, मनोरंजन तथा विलासिता कर विभाग में लंबित मांगों के मामलों में वसूली प्रक्रिया शुरू नहीं की गई थी तथा प्रणाली में अंतर्निहित त्रुटियों का गलत और कमजोर आंतरिक निरीक्षण, अनुचित ढंग से भुगतान को दर्शाना और प्रणाली निर्माण त्रुटि के

परिणामस्वरूप मांगों की वसूली नहीं हुई। मूल्यवर्द्धित कर में ₹ 80.53 लाख की वापसी को अनुमोदन दिया गया जबकि डीलरों का पंजीकरण निरस्त कर दिया गया था। उत्पाद शुल्क, मनोरंजन तथा विलासिता कर विभाग में मांग व वसूली पंजिका का उचित ढंग से रखरखाव नहीं किया जा रहा था जिससे राजस्व के भुगतान और बकायों की निगरानी की जा सके।

(पैराग्राफ 1.2)

दो निर्धारितियों द्वारा 'सी' प्रपत्रों पर रियायती दर की अस्वीकार्य अनुमति दिए जाने के परिणामस्वरूप ₹ 0.58 करोड़ के कर का कम उद्ग्रहण हुआ, ₹ 0.39 करोड़ का ब्याज और ₹ 0.57 करोड़ का जुर्माना भी उद्ग्रहणीय था।

(पैराग्राफ 1.3)

विभाग उन डीलरों से जिनका पंजीकरण निरस्त हो चुका था, ₹ 2.84 करोड़ की मांग की वसूली कर पाने में असमर्थ था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 0.38 करोड़ के ब्याज का घाटा भी हुआ।

(पैराग्राफ 1.4)

सब-रजिस्ट्रार द्वारा क्षेत्रों के गलत वर्गीकरण के परिणामस्वरूप ₹ 36.44 लाख के स्टाम्प ड्यूटी एवं पंजीकरण शुल्क का कम उद्ग्रहण हुआ।

(पैराग्राफ 1.5)

अध्याय - II: सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (सा.क्षे.उ.)

31 मार्च 2016 तक 15 सरकारी कंपनियों और दो सांविधिक निगमों समेत 17 सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम थे। 31 मार्च 2016 तक इन 17 सा.क्षे.उ. में निवेश ₹ 27,289.04 करोड़ था। इस कुल निवेश में 35.24 *प्रतिशत* पूंजीगत और दीर्घावधि ऋणों का 64.76 *प्रतिशत* था। कुल निवेश 2.37 *प्रतिशत* घटा और 2011-12 में ₹ 27,951.87 करोड़ से घट कर 2015-16 में ₹ 27,289.04 करोड़ हो गया। सरकार ने 2015–16 के दौरान राज्य सा.क्षे.उ. को इक्विटी, ऋण और अनुदान/आर्थिक सहायता प्रदान करने में ₹ 1,904.41 करोड़ का योगदान किया।

(पैराग्राफ 2.1.6 और 2.1.7)

बकाया लेखों की संख्या 16 (2011-12) से बढ़कर 27 (2015-16) हो गई। 30 सितम्बर 2016 तक एक सा.क्षे.उ. दिल्ली अ.जा./ अ.ज.जा/ अ.पि.व/ अल्पसंख्यक एवं विकलांग वित्तीय एवं विकास निगम लिमिटेड के पास 12 वर्षों के बकाया लेखे थे जबकि अन्य सा.क्षे.उ. के बकाए एक से तीन वर्ष तक के थे।

(पैराग्राफ 2.1.9)

17 सा.क्षे.उ. में से 12 सा.क्षे.उ. ने ₹ 1,177.81 करोड़ का लाभ कमाया और चार सा.क्षे.उ. ने ₹ 2,917.77 करोड़ की हानि हुई। एक सा.क्षे.उ. ने अपने लेखे 'न लाभ न हानि' के आधार पर बनाएं।

(पैराग्राफ 2.1.10)

अक्तूबर 2015 से सितंबर 2016 की अवधि के दौरान प्राप्त 11 लेखों के संबंध में चार लेखों को सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा अयोग्यता प्रमाणपत्र दिए गए, छः लेखों को योग्यता प्रमाणपत्र और एक लेखे के लिए प्रतिकूल प्रमाणपत्र (जिसका अर्थ हैं कि लेखे सही और निष्पक्ष स्थिति नहीं दर्शाते) दिया गया।

(पैराग्राफ 2.1.11)

पॉवर विभाग

दो पॉवर उत्पादन कंपनियों, **इंद्रप्रस्थ पॉवर उत्पादन कंपनी लिमिटेड (इं.पॉ.उ.कं.लि.) तथा प्रगति पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (प्र.पॉ.कॉ.लि.)** की कार्यप्रणाली की 2011-12 से 2015-16 की अवधि को कवर करते हुए एक निष्पादन लेखापरीक्षा की गई जिसमें पावर की कम शेडयूलिंग, अनियोजित मेजर शटडाउन एवं मरम्मत तथा रखरखाव में देरी के कारण क्षमता वृद्धि कार्यक्रमों में कमियां, ईंधन की ज्यादा खपत तथा उत्पादन लक्ष्यों की गैर प्राप्ति का पता चला। कुछ मुख्य प्राप्तियां निम्न प्रकार हैः

डिस्कॉम से वसूलनीय ₹ 4,911.07 करोड़ के बकाया बिलों से इं.पॉ.उ.कं.लि. और प्र.पॉ.कॉ.लि. के नकद प्रवाह पर बुरा प्रभाव पड़ा और कंपनियों को बड़ी मात्रा में अल्पकालीन ऋणों का सहारा लेना पड़ा।

(पैराग्राफ 2.2.2 और 2.2.4.1)

12वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक योजनागत 3,340 मेगावाट के छः पॉवर प्लांटों में से मात्र 1,500 मेगावाट प्र.पॉ.स्टे.–III बवाना को चालू किया गया है जबकि बाकी सभी परियोजनाओं को गैस या भूमि उपलब्ध न होने के कारण स्थगित थी। परियोजना के ब्लॉक–I और ब्लॉक–II के कार्यान्वयन की प्रभावी निगरानी न करने के कारण और परियोजना को चालू करने में देरी के कारण प्र.पॉ.कॉ.लि. ₹ 474.32 करोड़ की वसूली शुल्क में नहीं कर पाया और यह इक्विटी पर ₹ 163.32 करोड़ के अतिरिक्त प्रतिफल का लाभ भी नहीं ले सका।

(पैराग्राफ 2.2.5 और 2.2.5.1)

पॉवर प्लांट का प्रचालनात्मक निष्पादन उप–इष्टतम था। प्लांटों की सकल स्टेशन उष्मा दर मानकों से ऊंची थी जिससे ₹ 125.92 करोड़ के अधिक ईंधन का उपभोग हुआ। राजघाट पॉवर हाऊस, गैस टरबाइन पॉवर स्टेशन और प्र.पॉ.स्टे.–III लक्षित प्लांट उपलब्धता तक नहीं पहुंच पाए जिससे ₹ 616.87 करोड़ के क्षमता प्रभारों की वसूली कम हुई। इसके अतिरिक्त, इन पॉवर प्लांटों की सहायक ऊर्जा उपभोग मानकों से अधिक थी जिससे ₹ 48.04 करोड़ के मूल्य वाले 154.75 एम.यू. का अधिक उपभोग हुआ।

(पैराग्राफ 2.2.6.1 (ग), 2.2.6.3 (ख) और 2.2.6.5)

दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति के मानकों के अनुपालन हेतु कोई कार्य योजना बनाए बिना रा.पॉ.हा. की इकाई–2 का ओवरहॉलिंग आरंभ किया जिसके परिणामस्वरूप प्लांट निष्क्रिय पड़ा रहा तथा जिसके ओवरहॉलिंग पर किया गया ₹ 15.09 करोड़ का व्यय निष्फल हो गया।

(पैराग्राफ 2.2.7.1)

वित्त विभाग

दिल्ली वित्त विभाग न केवल लघु उद्योग के उन्नयन व विकास के उद्देश्यों को पूरा करने में विफल रहा बल्कि सिमटते कारोबार पर काबू पाने के लिए अपनी गतिविधियों में विविधता लाने का निर्णय समय से लेने में विफल रहा। निगम के कारोबार में कमी ₹ 14.69 करोड़ का संभावित व्यापार न किये जाने के कारण हुई। निगम ने ₹ 0.81 करोड़ का अतिरिक्त राजस्व अर्जित करने के लिए अपने मुख्य व्यावसायिक कार्यालय के अतिरिक्त स्थान को किराए पर नहीं चढ़ाया।

(पैराग्राफ 2.3)

पॉवर विभाग

दिल्ली ट्रांस्को लिमिटेड

- स्क्रैप के निपटान में विलंब के परिणामस्वरूप ₹ 5.45 करोड़ का अवरोध और ₹ 1.71 करोड़ के ब्याज की हानि हुई।

(पैराग्राफ 2.4)

- ट्रांसफार्मरों की खरीद और उनसे जुड़ी बेज के अधिष्ठापन कार्य की गतिविधियों में तारतम्यता के अभाव में ₹ 13.15 करोड़ की निधि का अवरोध हुआ और साथ ही ₹ 4.55 करोड़ के ब्याज की हानि हुई।

(पैराग्राफ 2.5)

- डिस्कॉम से दावा करने के बजाय पेंशन ट्रस्ट को ₹ 29.97 करोड़ के टीडीएस का परिहार्य भुगतान करने के कारण निधि का अवरोधन तथा इसके परिणामस्वरूप ₹ 2.52 करोड़ के ब्याज की हानि हुई।

(पैराग्राफ 2.6)

पर्यटन विभाग

दिल्ली पर्यटन एवं परिवहन विकास निगम लिमिटेड ने निजी प्रचालकों द्वारा ₹ 1.93 करोड़ के पार्किंग शुल्कों के भुगतान से संबंधित करार के शर्तों को लागू नहीं किया यद्यपि इसने राजस्व अंश के भुगतान के लिए स्थगन काल के विस्तार की रियायत देकर ₹ 1.20 करोड़ की आय छोड़ दी।

(पैराग्राफ 2.7)

परिवहन विभाग

दिल्ली परिवहन आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड करार के अनुरूप रियायत शुल्क की वसूली करने में विफल रहा। परिणामस्वरूप ₹ 1.49 करोड़ की कम वसूली हुई। रियायत शुल्क के देरी से भुगतान करने पर ₹ 1.49 करोड़ का ब्याज प्रभारित करने में भी यह विफल रहा।

(पैराग्राफ 2.8)